

295



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2018 पुनरीक्षण

निगरानी- 5688/2018/ अशोकनगर/ भू. 21

बद्रीप्रसाद पुत्र नाथुराम तिवारी

निवासी-म्याना तहसील-मुंगावली

जिला-अशोकनगर म.प्र.

विरुद्ध

जयसिंह पुत्र स्व.प्रेम सिंह दांगी

निवासी ग्राम-नानोटी

तहसील-मुंगावली जिला-अशोकनगर

अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली, जिला-अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 125 अपील /2011-12 में पारित आदेश दिनांक 25/07/2018 के विरुद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार



3

मुकदमा नं. 5688/2018/ अशोकनगर म.प्र.
आज 17/9/2018
प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 19-9-2018 नियत।
कलकत्ता कोर्ट 17-9-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग.5688/2018/अशोकनगर/भू.रा. जिला-अशोकनगर
बद्रीप्रसाद विरुद्ध जयसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30.08.2019	<p>प्रकरण आज लिया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली, जिला-अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 125 अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 25.07.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू- राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27.07.2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25.09.2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा -54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला- अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 30.09.2019 को कलेक्टर, अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p></p> <p> (जे०के० जैन) सदस्य</p>	